न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी–श्री सीताराम जाट, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या– 63 / 2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023 / 129

प्रार्थी

1. मोहम्मद युसुफ पुत्र मोहम्मद इब्राहीम जाति रान्दड़
2. मोहम्मद अयूब पुत्र मोहम्मद इब्राहीम जाति रान्दड़
3. मोहम्मद इलियास पुत्र मोहम्मद इब्राहीम जाति रान्दड़

निवासीगण पीर की दरगाह, मकराना पुलिस थाना मकराना जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. फयाज अली पुत्र फारूक अली जाति चौधरी
2. अहमद अली पुत्र फारूक अली जाति चौधरी के वारिसान –
   2 / 1– इमरान अली पुत्र अहमद अली
   2 / 2– फुरखान अली पुत्र अहमद अली
3. अब्दुल रजाक पुत्र फारूक जाति चौधरी
4. निसार अली पुत्र फारूक अली जाति चौधरी
5. अलताफ हुसैन पुत्र फारूक अली जाति चौधरी

   निवासीगण दौला कुआ, मकराना, पुलिस थाना मकराना जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान।
6. थानाधिकारी, पुलिस थाना मकराना।
7. उपखण्ड अधिकारी, मकराना।

प्रार्थना पत्र धारा 411 सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत मुकदमा नम्बर 15 / 2015 अनुवान सरकार जरिये थानाधिकारी मकराना बनाम मो. युसुफ वगैरह अदालत उपखण्ड अधिकारी, मकराना के समक्ष विचाराधीन मुकदमें को अन्य सक्षम न्यायालय मुन्तकिल करने हेतु।

आदेश

दिनांक: 21/12/2023

प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 411सी.आर.पी.सी के तहत पेश हुआ।

प्रार्थीगणों ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि मौजा मकराना में खान 49 / 1ए कालानाड़ा उलोड़ी रेंज में लाईसेंसधारी अप्रार्थीगण है। परन्तु इस खान के सम्बन्ध में सही तथ्य यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के पिता फारूक अली चौधरी पुत्र श्री उस्मानजी चौधरी व प्रार्थीगण के पिता मोहम्मद इब्राहीम रिश्ते में साडू थे और दोनों ही खान में अलग अलग खनन कार्य करते थे। आपस की रिश्तेदारी के कारण माईनिंग अधिकारी ने सुझाव दिया कि फर्म बना लो, इस बात के अप्रार्थीगण के पिता ने नहीं माना एवं केवल फारूक अली पुत्र श्री उस्मान जी चौधरी के नाम ही लाईसेंस रह गया। फारूक अली व मोहम्मद इब्राहीम के देहान्त के बाद माईनिंग अधिकारियों ने सब के नाम लाईसेंस में अंकित करने के लिये भागीदारी डीड बनवाने के लिये कहा, परन्तु भागीदारी डीड नहीं बनाई गई। फारूक अली के देहान्त के बाद लाईसेंस में फारूक अली के स्थान पर उनके लड़कों के नाम [illegible] का म्युटेशन दर्ज हो गया, परन्तु खनन कार्य पूर्ववत चलता रहा। मोहम्मद इब्राहीम [illegible] हिस्सा [illegible] था एवं फारूक अली का हिस्सा दक्षिणी था। जब प्रार्थीगण [illegible] अप्रार्थीगण ने इमारत [illegible] की व प्रार्थीगण द्वारा निकाले

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Date: 2024.02.01 11:34:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

Scanned with OKEN Scanner

हुए पत्थरो को काट कर ले जाना चाहा, तो इस विवाद को लेकर मारपीट के मुकदमें दर्ज हुए एवं एसएचओ मकराना ने धारा 145 सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय में इस्तगासा पेश किया, जिस पर माननीय न्यायालय ने तमाम तथ्यों को रेकर्ड पर लेते हुए आदेश अन्तर्गत धारा 145 / 146 सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत पूरी खान कुर्क के आदेश जारी कर दिये व एसएचओ मकराना को रिसीवर नियुक्त कर दिया। इस आदेश के अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के हिस्से कुर्क कर दिये गये। एसएचओ मकराना ने उक्त खान के 1 / 2 उतरी हिस्से का कब्जा प्रार्थीगण से लिया, परन्तु अप्रार्थीगण ने माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश परबतसर के पास प्राथमिक आदेश के विरूद्ध धारा 397 (1) सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत निगरानी पेश की, जिस पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 10.05.2016 को आंशिक रूप से स्वीकार कर कुर्की हटा दी एवं शेष प्राथमिक आदेश यथावत रखा। इस आदेश के अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के हिस्से कुर्क कर दिये गये। एसएचओ मकराना ने उक्त खान के 1 / 2 उतरी हिस्से का कब्जा प्रार्थीगण से लिया, परन्तु अप्रार्थीगण ने माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश परबतसर के पास प्राथमिक आदेश के विरूद्ध धारा 397 (1) सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत निगरानी पेश की, जिस माननीय न्यायालय ने दिनांक 10.05.2016 को आंशिक रूप से स्वीकार कर कुर्की हटा दी एवं शेष प्राथमिक आदेश यथावत रखा। इस आदेश की पालना में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की पालन में एसएचओ मकराना ने खान संख्या 49 / 1ए कालानाड़ा उलोड़ी रेंज मकराना के उतरी 1 / 2 हिस्से का कब्जा प्रार्थीगण को सुपुर्द कर दिया जो आज भी प्रार्थीगण के पास है। मौके पर खान के दो हिस्से स्पष्ट नजर आते हैं, जो मौका रिपोर्टो से भी स्पष्ट है। दोनो पक्षों के क्रेने व मशीनरी भी अलग–अलग है। अतः सम्पूर्ण खान पर अप्रार्थीगण का न तो कभी कब्जा रहा और न ही प्राथमिक आदेश के दिन कब्जा था और न ही आज है। पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 के प्रभाव में आकर यह प्रार्थीगण से द्वेषता रखकर अप्रार्थीगणों के दबाव में आकर नजदीक से नजदीक पेशी दी जाकर अवैधानिक से निर्णय पारित करने की कोशिश की जा रही है। साक्ष्य हेतु समय होने के बावजुद भी साक्ष्य / बहस की आदेशिका लिखी जाकर प्रार्थीगण के साथ अन्याय किया जा रहा है। जिससे प्रार्थीगण को अब इस न्यायालय से न्याय प्राप्त होने की उम्मीद नही रही है। अतः इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश किया गया जिसमें वर्णित तथ्यों में यह कथन किया हैं कि प्रार्थीगण के पिता मोहम्मद इब्राहिम एवं अप्रार्थीगण के पिता फारूख अली रिश्ते में साडू नहीं हैं। जबकि फय्याज अली वगेरह के पिता फारूख अली पुत्र श्री हाजी उस्मान जाति चौधरी के नाम से दिनांक 01.03.1968 को खनन कार्य हेत खान नं. 49 / 1ए क्षेत्रफल 65 / 200 गुणा 80 / 200 फिट आयी हुई है। अप्रार्थीगण के पूर्वज फारूख अली का इंतकाल दिनांक 09.10.1978 को हो चुका है तथा उनकी मृत्यु के पश्चात नियमानुसार उनके वंशज अप्रार्थीगण फय्याज अली वगेरह का नाम म्यूटेशन हो गया है तथा उक्त खान पर अप्रार्थीगण का शांतिपूर्वक कब्जा खनन कार्य चला आ रहा है। एवं इस खान को हड़प करने के उद्देश्य से खान विभाग के तत्कालीन मकराना के खनि अभियन्ता प्रवीण कुमार खाटकी से मिलीभगत करते हुए दिनांक 21.03.2014 एवं 31.12.2014 एवं 05.06.2015 फर्जी मौका रिपोर्टे बनाई गई। प्रार्थीगण या उनके पूर्वजों का कभी भी खान पर कब्जा उपयोग नहीं रहा है। अप्रार्थीगण ने इस खान के अधिकारों की घोषणा को लेकर एक वाद संख्या 50 / 2016 माननीय अपर जिला जज साहब, परबतसर के न्यायालय में कर रखा हैं। जिसमें इन्होंने खान का एक फर्जी लिखावट दिनांक 04.12.1968 के द्वारा अपने आप को मिलना बताया है। यह तथाकथित लिखावट युसुफ वल्द ईब्राहिम के पक्ष में निष्पादित होना बताया है। प्रार्थीगण मोहम्मद युसुफ ने वाद संख्या 50 / 2016 में अपनी सन 2016 में उम्र 51 वर्ष बताई है इस हिसाब से जिस समय यह तथाकथित लिखित निष्पादित हुई थी उस समय प्रार्थीगण मोहम्मद युसुफ की उम्र मात्र 2–3 वर्ष थी वह न तो ख[illegible]र सकता था। एवं न ही कोई इकरारनामा करन में समर्थ था। अप्रार्थीगण के पिता [illegible] अ[illegible] कोई आवश्यकता नहीं थी कि वह मात्र 2–3 वर्ष के बच्चे के पक्ष में इस प्रकार का इक[illegible] निष्पादित करे। इसके बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Date: 2024.02.01 11:34:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण मोहम्मद युसुफ ने दिनांक 03.10.1992 की लिखावट बताई है। ये दोनों तथाकथित लिखावटें भी आपस में देखने मात्र से ही विरोधाभाषी प्रतीत होती है क्योंकि सन् 1968 वाली तथाकथित लिखावट प्रार्थीगण मोहम्मद युसुफ एवं उनके वारिसान को अधिकार देती है तथा सन् 1992 की तथाकथित लिखित प्रार्थीगण मोहम्मद युसुफ के साथ–साथ अन्य व्याक्तियों को भी अधिकार देती है। उनका कब्जा प्रवीण कुमार द्वारा या उसके कार्यालय में उसके अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा उपर वर्णित मौका रिपोर्टो के अलावा सन् 1968 से आज तक नहीं किसी भी मौका रिपोर्टो एवं सीमांकन रिपोर्ट में दर्शित नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रवीण कुमार ने मात्र प्रार्थीगण को फायदा पहुंचाने एवं खान हड़प करने के उद्देश्य से प्रार्थीगण का कब्जा न होते हुये भी उनका कब्जा केवल कागजी रूप से उपर वर्णित मौका रिपोर्टो ने दर्शित किया है। इन्होंने इन रिपोर्टो में हमारे लाईसेंसी का कार्य अवैध भी बताया है। जिसे एडीएम जयपुर ने अपने आदेश 24.02.2016 से निरस्त कर दिया है एवं प्रवीण कुमार खाटकी द्वारा प्रस्तुत SUO MOTO रिविजन संख्या 10 / 2016 भी संयुक्त शासन सचिव द्वारा दिनांक 20.01.2017 को खारिज कर दी गई है। इससे स्पस्ट होता है कि खान विभाग के उच्च अधिकारी ने कब्जा खनन हम अप्रार्थीगण लाईसेंसी फयाज अली वगेराह का ही बताया है। माईन्से सेफटी ने खान नं. 49 / 1ए पर कभी भी खान का निरीक्षण नहीं किया तथा खनिज विभाग के कार्यालय में बैठकर ही फर्जी रिपोर्ट तैयार की गई थी। उक्त संबंध में खनिज विभगा में लाईसेंसियों को कभी भी किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया तथा बिना लाईसेंसी को अवैध नोटिस देकर अवैध कब्जा बताने की कोशिश की गई है जो एम.एम.सी.आर. के नियमों के तहत केवल लाईसेंसी को ही नोटिस दिया जा सकता है एवं उसे ही खनन कार्य करने का अधिकार होता है। दिनांक 10.05.2016 को श्रीमान् एसडीओ कोर्ट, मकराना के आदेश के विरूद्ध धारा 397(1) सीआरपीसी के अन्तर्गत अप्रार्थीगण फयाज अली वेगरह ने एडीजे कोर्ट, परबतसर में पेश की थी। एडीजे कोर्ट, परबतसर ने अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर दिनांक 10.05.2016 को निरस्त कर दिया था तथा उक्त आदेश की पालना में एसएचओ, मकराना रिसीवर न अप्रार्थीगण लाईसेंसी फयाज अली वगेरह को खान का कब्जा देने बाबत किसी प्रकार का नोटिस खान का कब्जा लेते व देते समय नहीं दिया केवल मनमाने ढ़ंग से प्रार्थीगण से मिलीभगत कर कब्जा थाने में दे दिया। मौके पर खान पर कभी भी नहीं गया। सम्पूर्ण खान पर किसी प्रकार के दो हिस्से नहीं है तथा उक्त खान पर अप्रार्थीगण लाईसेंसी फयाज अली का कब्जा खनन है तथा खान पर लाईसेंसी की ही अगवाड पर पछवाड की क्रेन मय इंजन लगी हुई है तथा उक्त खान पर लाईसेंसी का बैठने का पश्चिम साईड में कमरा बना हुआ है जिसमें लाईसेंसी अप्रार्थीगण फयाज अली द्वारा खनिज विभाग के द्वारा एनओसी लेने के पश्चात विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है समस्त मशीनरी अप्रार्थीगण लाईसेंसी द्वारा ही लगाई गई है एवं उन्हीं के द्वारा खनन कार्य हेतु उपयोग में लिया जा रहा है। दिनांक 06.04. 2022 को श्रीमान् राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि जितना हो दोनों पक्षकार का मौखिक व लिखित साक्ष्य लेकर दिनांक 31.12.2022 तक उक्त परिवाद का फैसला करें। हाईकोर्ट के आदेश हुए आज 18–19 माह बीत चुके है। अप्रार्थीगण लाईसेंसी फयाज वगेरह ने कोर्ट को अवगत कराया कि हाईकोर्ट के आदेश अनुसार सुनवाई शीघ्र व आवश्यक रूप से करने के आदेश है। दिनांक 08.11.2023 को अप्रार्थीगण अपना जवाब व साक्ष्य के लिए शपथ पत्र पेश किया गया है। उक्त जवाब व शपथ पत्र की नकल प्रार्थीगण के वकील श्री अब्दुल मतीन को दिनांक 08.11.2023 को दी गई और ऑर्डर शीट पर स्पष्ट लिखा है कि वास्ते साक्ष्य / बहस पत्रावली दिनांक 16.11.2023 को पेश हो तथा दिनांक 16.11.2023 को श्रीमान एसडीओं साहब, मकराना चुनाव में व्यस्त होने के कारण दिनांक 23.11.2023 दी गई तथा दिनांक 23.11.2023 को पुनः एसडीओ साहब, मकराना चुनाव में व्यस्त होने के कारण सुनवाई हेतु दिनांक 18.12.2023 दी गई। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने [illegible] तथ्यों [illegible] परिवाद को लम्बा करने की नीयत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिले [illegible] है।

अधीनस्थ न्यायालय की ओर से [illegible] टिप्पणी [illegible] जिसमें [illegible] तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रकरण में ऐसा कोई आदेश पारित नहीं [illegible] गया जिससे पक्षकारान के हित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Date: 2024.02.01 11:34:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

Scanned with OKEN Scanner

प्रभावित हुए हो एवं पत्रावली में पूर्ण सुनवाई कर साक्ष्य सबूतो के आधार पर ही निर्णय पारित किया जावेगा। प्रकरण वर्ष 2015 से न्यायालय में चल रहा है। गैरसायल पार्टी संख्या 1 व 2 का क्लेम पेश किये जाने के उपरान्त साक्ष्य/बहस हेतु नियत की गई थी। दिनांक 16.11.2023 व 23.11.2023 को चुनाव कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली में दिनांक 18.12.2023 को आगामी तारीख पेश नियत की गई है। इस प्रकार न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से ही दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनकर उनकी इच्छा अनुसार पत्रावली में तारीख पेशी दी गई है। न की नजदीक–नजदीक पेशी दी गई। प्रार्थी द्वारा मात्र मनगढत तथ्य पेश कर श्रीमान् को प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

बहस उभय पक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। तर्को पर मनन करने तथा रेकर्ड के अवलोकनोपरान्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाना उचित है। अतः उपखण्ड मजिस्ट्रेट मकराना के इस्तगासा सं0 15/2015 उनवान सरकार बनाम मो0 युसुफ वगैराह को उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है। उभय पक्षकारान सूचित होकर न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर में दिनांक 09.01.24 को उपस्थित रहें।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक 21/12/23 को सुनाया गया।

(सीताराम जाट, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Date: 2024.02.01 11:34:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner